राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :—2456/2023

बनवारी लाल गांधी —अपीलार्थी

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, राजस्थान सरकार, सचिवालय, जयपुर।
2. निदेशक (अराजपत्रित), चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण सेवाएं, राजस्थान, जयपुर।
3. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, टोंक।
4. ब्लॉक मुख्य चिकित्सा अधिकारी, उनियारा, जिला टोंक।

—प्रत्यर्थीगण

आदेश की दिनांक : 29.09.2023

उपस्थित —

अपीलार्थी की ओर से : श्री राजेश कुमार सैन, अधिवक्ता

समक्ष :— अनन्त भंडारी, सदस्य(न्यायिक)
लेखराज तोसावड़ा, सदस्य

आदेश

1. मामले की आवश्यक प्रकृति को देखते हुए राजस्थान सिविल सेवा (सेवा मामलों के लिए अपील अधिकरण) अधिनियम, 1976 की धारा 4ए के उपबन्ध में शिथिलिता प्रदान करने की प्रार्थना स्वीकार कर अपील पर सुनवाई की गई।
2. अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता का तर्क है कि अपीलार्थी वर्तमान में सहायक प्रशासनिक अधिकारी के पद पर कार्यालय बीसीएमओ, उनियारा, टोंक में कार्यरत है। आलोच्य आदेश दिनांक 17.08.2023 के द्वारा अपीलार्थी का स्थानांतरण वर्तमान पदस्थापन स्थान से बीसीएमओ, आसींद भीलवाड़ा कार्यालय में किया गया है। उनका कथन है कि वरिष्ठ सहायक से सहायक प्रशासनिक अधिकारी के पद पर पदोन्नति उपरांत अपीलार्थी द्वारा विकल्प पत्र विभाग द्वारा मांगे जाने पर अपीलार्थी ने अपना विकल्प पत्र प्रस्तुत किया था और अपने वांछित पदस्थापित स्थान हेतु विकल्प खण्ड मुख्य चिकित्सा अधिकारी, उनियारा टोंक को दिया था। परंतु अपीलार्थी को उसके विकल्प पत्र के अनुसार पदस्थापित नहीं कर अन्य जिले में उसका पदस्थापन किया गया है, जो उचित नहीं है।
3. हमनें अपीलार्थी द्वारा दिये गये तर्कों पर विचार किया। अपीलार्थी वर्तमान में खण्ड मुख्य चिकित्सा अधिकारी, उनियारा, टोंक कार्यालय में कार्यरत है और उसी स्थान का विकल्प पत्र अपीलार्थी ने दिया था। अपीलार्थी वर्तमान स्थान पर 11.07.2018 से कार्यरत है। नियोक्ता को यह अधिकार है कि वह अपने विवेक से यह निर्णय ले सकता है कि वह अपने कार्मिक की सेवाएं किस स्थान पर लेता है। केवलमात्र

विकल्प पत्र दिये जाने के आधार पर अपीलार्थी को यह अधिकार उत्पन्न नहीं होता है कि वह विकल्प पत्र वाले स्थान पदस्थापन प्राप्त करने का अधिकारी है।

4. प्रशासनिक आवश्यकताओं में कार्मिक की सेवाएं किस स्थान पर ली जानी है, इसके निर्णय का अधिकार प्रत्यर्थी विभाग को है। माननीय उच्चतम न्यायालय ने **शिल्पी बोस बनाम बिहार राज्य** (**ए.आई.आर. 1991 एस.सी. 532**) के प्रकरण में राजकीय कार्मिकों के स्थानान्तरण के विषय में निम्न प्रकार अवधारित किया है :-

> *"In our opinion, the Courts should not interfere with transfer orders which are made in public interest and for administrative reasons unless the transfer orders are made in violation of any mandatory statutory rule or on the ground of malafide. A Government servant holding a transferable post has no vested right to remain posted at one place or the other, he is liable to be transferred from one place to the other. Transfer orders issued by the competent authority do not violate any of his legal"*

5. उपरोक्त प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थितियों को देखते हुए हम आलोच्य आदेश में हस्तक्षेप करना उचित नहीं पाते हैं। परिणामस्वरूप इस अपील में कोई बल नहीं होने से अपील खारिज की जाती है।

(लेखराज तोसावड़ा)
सदस्य

(अनन्त भंडारी)
सदस्य(न्यायिक)